Title: Need to grant environment clearance to development projects in Gadchiroli-Chimur Parliamentary Constituency

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): देश की विशेषत: महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े, अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्रों की विकास संबंधी अनेकों परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने की वजह से अधर में पड़ी रहने की वजह से विकास कार्य अवरूद्ध हो रहा है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने के परिणामस्वरूप विकास संबंधी निर्माण कार्यों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है । इसके अलावा अनेक ऐसी भी विकास संबंधी परियोजानाएं हैं, जो वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के कड़े नियमों के चलते अधर में लटकी हुई हैं । इस संबंध में, मैं अपने संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली ? चिमुर में स्थित आस्टी-आलमपल्ली - सिरोन्चा (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 353 - सी), जो जीर्णशीर्ण स्थिति में है तथा जिसके निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन वन (संरक्षण) अधिनियम में दिए गए कड़े प्रावधानों की वजह से इस 16 किलोमीटर लम्बे राजमार्ग का सी०सी० निर्माण नहीं हो पा रहा है तथा इसी प्रकार से मेरे संसदीय क्षेत्र में ही स्थित देवरी नगर पंचायत, जो दुर्गम आदिवासी अति पिछड़ा क्षेत्र है, में इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन (ई०एस०जेड०) की आड़ में उद्योग- धंधे स्थापित करने में बाधा आ रही है । मेरा माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध है कि महाराष्ट्र राज्य की विशेषत: आदिवासी और नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावति संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली - चिमुर की छोटी-बड़ी लंबित विकास संबंधी सभी परियोजनाओं को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में दिए गए प्रावधानो में विशेष परिस्थितियों में शिथिलता प्रदान कर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाएं ।